[2016] 5 एस. सी. आर. 704

वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

(सिविल अपील सं. 1798/2005)

08 नवंबर, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, जे. जे.]

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941: 4(6)(iii), 5(6ए)- खरीद कर- भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) और उसकी शाखाओं द्वारा भुगतान पर आयात शुल्क (निर्यात आयात लाइसेंस) की स्वीकृति। आर. बी. आई. के निर्देश- खरीद कर की लेवी- के अनुपालन में शेयरों के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत के प्रीमियम का आयोजनः एस. बी. आई. पुनःपूर्ति लाइसेंस या रद्द करने की प्रक्रिया में एक प्रतिभागी के रूप में लिए गए एक्ज़िम स्क्रिप के लिए खरीद कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है- पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप सामान होते हैं और जब उन्हें धारक/मालिक द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को विचार के लिए हस्तांतरित या सौंपा जाता है, तो वे बिक्री कर आकर्षित करते हैं- जब एस. बी. आई. ने उक्त उपकरणों को आर. बी. आई. के एजेंट के रूप में लिया, तो उसने कोई भी सामान नहीं रखा या खरीदा- यह केवल आर. बी. आई. के निर्देशों के अनुसार, अपने एजेंट के रूप में काम करता था और प्रक्रिया में एक प्रतिभागी के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप अब हस्तांतरित नहीं किए गए थे- इरादा और उद्देश्य पुनःपूर्ति सामान लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप के रूप में खरीदना नहीं था, लेकिन उन्हें रद्द करने के लिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 हाथ में मामले के तथ्यों की अपनी विशिष्टता है विशेषताएँ और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह विचार कि एस. बी. आई. अधिनियम के तहत खरीद कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं था, सहमत है। [पैरा 35] [730- सी]

1.2 पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप्स होंगे और जब उन्हें धारक/मालिक द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को विचार के लिए हस्तांतरित या सौंपा जाता है, तो वे बिक्री को आकर्षित करेंगे। हालाँकि, स्थिति तब अलग होगी जब पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप अनुदानकर्ता को वापस कर दिए जाते हैं या रद्द या विलुप्त होने के लिए संप्रभु प्राधिकरण। इस प्रक्रिया में, जैसे ही और जब माल प्रस्तुत किया जाता है, तो पुनःपूर्ति लाइसेंस या आयात- निर्यात स्क्रिप रद्द कर दिया जाता है और विपणन योग्य नहीं रह जाता है। आर. बी. आई. के निर्देशों के अनुसार, इसके एजेंट के रूप में और रद्द करने की प्रक्रिया में एक प्रतिभागी के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप अब स्थानांतरित नहीं किए गए थे, इरादा और उद्देश्य पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप के रूप में माल खरीदने के लिए नहीं था, लेकिन उन्हें रद्द करने के लिए था। उक्त उद्देश्य और उद्देश्य स्वीकृत स्थिति है। इसका उद्देश्य बाजार से पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप्स को बाजार से हटाना था। [पैरा 33] [729- डी- जी]

1.3 स्क्रिप्स के प्रारंभिक निर्गम या अनुदान को माल में स्वामित्व या स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, इसका पालन तब किया जाना चाहिए जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिग्रहण करता है और मांग करता है, पुनःपूर्ति लाइसेंसों की वापसी या उन्हें रद्द करने और नष्ट करने के इरादे से एक्ज़िम स्क्रिप, पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप को अनुदानकर्ता द्वारा

खरीदी गई विपणन योग्य वस्तु के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, एस. बी. आई. आर. बी. आई. का एक अभिकर्ता है, जो प्रधान है। एक्ज़िम स्क्रिप या पुनःपूर्ति लाइसेंस "सामान" नहीं थे जो उनके द्वारा खरीदे गए थे। इरादा और उद्देश्य पुनःपूर्ति लाइसेंस खरीदना नहीं था क्योंकि पुनःपूर्ति लाइसेंस माल में "स्वामित्व" कभी नहीं था। एस. बी. आई. को हस्तांतरित या सौंपा गया। [पैरा 34] [729- जी- एच; 730- ए- बीआई]

सनराइज एसोसिएट्स बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य (2006) 5 एस. सी. सी. 603: 2006 (1) पूरक एससीआर 421- पर निर्भर।

विकास सेल्स कॉर्पोरेशन और एक अन्य बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और एक अन्य (1996) 4 एस. सी. सी. 433: 1996 (2) पूरक एस. सी. आर. 204; बिक्री कर आयुक्त बनाम बिलियन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड [1995] 98 एसटीसी 184; तमिलनाडु राज्य बनाम बर्मा शेल कंपनी लिमिटेड 31 एस. टी. सी. 426 (एस. सी.); जिला भंडार नियंत्रक बनाम ए. सी. कराधान अधिकारी 37 एसटीसी 423 (एससी); तमिलनाडु राज्य बनाम बिन्नी लिमिटेड, मद्रास 49 एस. टी. सी. 17 (एस. सी.) राजस्व बोर्ड बनाम ए. एम. अंसारी 38 एस. टी. सी. 577 (एस. गुजरात राज्य बनाम। रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1066: 1967 एससीआर 618; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एच. अब्दुल बखी और [2016] 5 एस. सी. ब्रदर्स आकाशवाणी 1965 एससी 531: 1964 एससीआर 664; हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 253: 1970 (1) एस. सी. आर. 753; राजस्व बोर्ड बनाम ए. एम. अंसारी (1976) 3 एससीसी 512: 1976 (3) एससीआर 661; पी. एस. अपेरल्स बनाम डिप्टी वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास [1994] 94 एसटीसी 139; भारत फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक आयुक्त कर [1991] 86 एस. टी. सी. 175; एच. अनराज बनाम सरकार की तमिलनाडु (1986) 1

एससीसी 414: 1985 (3) पूरक एससीआर 342; याशा ओवरसीज बनाम बिक्री कर आयुक्त और अन्य (2008) 8 एस. सी. सी. 681- संदर्भित।

ब्लैक का कानून शब्दकोश; अय्यर का न्यायिक शब्दकोश- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

1996 (2) पूरक एससीआर 204	संदर्भित किया गया है	पैरा 10,27,30,31
[1995] 98 एसटीसी 184	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
31 एसटीसी 426 (एससी)	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
37 एसटीसी 423 (एससी)	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
49 एस. टी. सी. 17 (एस.)	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
38 एसटीसी 577 (एससी)	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
1967 एससीआर 618	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
1964 एससीआर 664	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
1970 (1) एससीआर 753	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
1976 (3) एससीआर 661	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
[1994] 94 एसटीसी 139	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
[1991] 86 एसटीसी 175	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
1985 (3) पूरक एससीआर 342	संदर्भित किया गया है	पैरा 24,28,30
(2008) 8 एस. सी. सी. 681	संदर्भित किया गया है	पैरा 31
2006 (1) पूरक एससीआर 421	उस पर भरोसा किया	पैरा 32

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1705/1998

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के डब्ल्यू.पी.टी.टी. सं. 03/1998 में दिनांक 16.12.2002 के निर्णय और आदेश से।

सौमित्र जी. चौधरी, पारिजात सिन्हा, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

प्रदीप कुमार घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता पिनाकी अड्डी, चिरारंजन अड्डी, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. मौलिक प्रश्न जो उभरता है इस अपील में विचार यह है कि क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) और उसकी शाखाएं, जो बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत पंजीकृत विक्रेता हैं, आयात शुल्क स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 5 (6ए) के तहत खरीद कर लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) के 18 मार्च, 1992 के पत्र में निहित निर्देश के अनुपालन में स्क्रिप के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत के प्रीमियम के भुगतान पर स्क्रिप (निर्यात आयात लाइसेंस) राजस्व के अधिकारियों के साथ-साथ कराधान न्यायाधिकरण के लिए संक्षेप में, ('न्यायाधिकरण') ने एस. बी. आई. के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक रिट याचिका में उक्त याचिका को खारिज कर दिया है। निष्कर्ष अभिधारण, अन्य बातों के साथ- साथ एक्ज़िम स्क्रिप्स की खरीद बैंक ने अधिनियम की धारा 4 (6) (iii) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया और परिणामस्वरूप नीचे दिए गए मंचों के आदेशों को रद्द कर दिया और परिणामी निर्देश जारी किए।

2. हस्तगत विवाद को समझने के लिए तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक है। एस. बी. आई. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत देश में बैंकिंग

सुविधाओं के विस्तार और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए गठित एक निगमित निकाय है। बैंक को केंद्र सरकार की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्य करने होते हैं।

3. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के तहत नीतियों को अधिसूचित किया जाता है, ताकि देश में आयात और निर्यात को विनियमित किया जा सके और इसमें देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी शामिल हों जैसा कि तथ्यों से पता चलता है कि 4 जुलाई, 1991 से पहले पुनःपूर्ति लाइसेंस जारी करने का प्रावधान था जिसे "आरईपी लाइसेंस" के रूप में संदर्भित किया गया था। इस तरह के लाइसेंस देने के पीछे का उद्देश्य पंजीकृत निर्यातकों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करना था। इस तरह के लाइसेंस स्वतंत्र रूप से स्थानांतरितीय बनाए गए थे और इस तरह के स्थानांतरिती के लिए लाइसेंस प्राधिकरण से किसी भी समर्थन या अनुमति की आवश्यकता नहीं थी और केवल स्थानान्तरण से एक पत्र स्थानान्तरण लाइसेंस का वैध धारक बन गया और वह या तो उन वस्तुओं का आयात करने का हकदार था जिनके लिए लाइसेंस जारी किया गया था या किसी और को लाइसेंस बेचने का हकदार था।

4. उपरोक्त नीति 3 जुलाई, 1991 तक प्रचलन में रही, जब इसे 4 जुलाई, 1991 से एक नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और आरईपी लाइसेंस का नाम बदलकर "एक्ज़िम स्क्रिप" (निर्यात आयात लाइसेंस) कर दिया गया। एक्ज़िम स्क्रिप्स को नियंत्रित करने वाले प्रावधान कुछ मामूली बदलावों के साथ आर. ई. पी. लाइसेंसों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के समान थे जो वास्तव में विवाद के निर्णय के उद्देश्य के

लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

5. मार्च, 1992 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस प्रभाव के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया कि उन धारकों के हाथों में अप्रयुक्त एक्ज़िम स्क्रिप जो उनका निपटान करने के इच्छुक थे, उन्हें एस. बी. आई. की निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा से एकत्र किया जाना चाहिए। इस तरह के निर्णय के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च, 1992 को एक परिपत्र जारी किया, जो सं. 12/92 था। उक्त परिपत्र इस प्रकार हैः-

> "भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अधिसूचित किया था कि एक्ज़िम स्क्रिप के उन धारकों से उचित प्रीमियम पर एक्ज़िम स्क्रिप खरीदने की व्यवस्था की जा रही है जो उनका निपटान करना चाहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाएं 23 मार्च, 1992 से मई 1992 के अंत तक अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत के प्रीमियम पर इन एक्जिम शेयरों की खरीद करेंगी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उन शाखाओं की सूची अधिसूचित की जाएगी जो इन एक्जिम शेयरों को खरीदेंगी। एक्ज़िम स्क्रिप्स के प्रामाणिक धारक को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में आवेदन जमा करना चाहिए। स्क्रिप्स 5 लाख रुपये की ऊपर रुपये के अंकित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखा द्वारा सीधे खरीद की जाएगी और प्रीमियम राशि का भुगतान स्क्रिप के धारक को किया जाएगा। जहां शेयरों का अंकित मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। संबंधित शाखा इसे जे. सी. सी. आई. के कार्यालय में प्रमाणीकरण के लिए भेजेगी, जिसने स्क्रिप जारी किया था और विधिवत प्रमाणित स्क्रिप की प्राप्ति पर प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगी।"

6. सर्कुलर के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मार्च, 1992 को भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा, जिसमें उक्त बैंक की सभी नामित शाखाओं को उन धारकों से एक्ज़िम स्क्रिप खरीदने के लिए अधिकृत किया गया, जो 23 मार्च, 1992 से कुछ नियमों और शर्तों के अधीन एक्ज़िम स्क्रिप के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत के प्रीमियम पर इसका निपटान करना चाहते थे। इसके बाद, महाप्रबंधक (भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग की योजना) ने उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी शाखा, कलकत्ता, प्रत्यर्थी नं.1 इसमें, 21 मार्च, 1992 को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित एक्ज़िम स्क्रिप्स खरीदने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय अधिकारी द्वारा तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन को अग्रेषित किया गया। नियत समय में, एक्ज़िम स्क्रिप्स के विभिन्न धारकों ने अपने एक्ज़िम स्क्रिप्स को बैंक को बेच दिया और/या समर्पण कर दिया और 18 मार्च, 1992 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र में निहित निर्देश के अनुपालन में स्क्रिप्स के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त किया।

7. 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली चार तिमाहियों के लिए अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, वाणिज्यिक कर अधिकारी, पार्क स्ट्रीट चार्ज ने निर्धारिती को सूचित किया कि सोने और चांदी की बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान के अलावा, यह उसके धारकों से आयात-कर विवरणी की खरीद के संबंध में अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत के प्रीमियम पर "खरीद कर" का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। आकलन प्राधिकरण के समक्ष, एस. बी. आई. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक्ज़िम स्क्रिप वास्तव में नहीं खरीदे गए थे, लेकिन 18 मार्च, 1992 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र में निहित शर्तों के अनुसार उनके धारकों द्वारा उन्हें सरेंडर कर दिया गया था। यह भी कहा गया कि इस तरह के समर्पण को अधिनियम की खंड 4 (6) के तहत कर लगाने के उद्देश्य से खरीद के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी माना गया

कि एक्ज़िम स्क्रिप अधिनियम की खंड 2 (डी) के अर्थ के भीतर "वस्तु" नहीं थे और इसलिए, उक्त अधिनियम की खंड 4 (6) के तहत इसके धारकों द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप के समर्पण पर कोई खरीद कर नहीं लगाया जा सकता था। उपरोक्त के अलावा, एक विशिष्ट आपत्ति ली गई थी कि बैंक ने अपने दम पर ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया था जिसे अधिनियम की खंड 4 (6) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए खरीद के रूप में माना जा सके, लेकिन 18 मार्च, 1992 के उपरोक्त परिपत्र में निहित आदेश के संदर्भ में केवल भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य किया था।

8. आकलन अधिकारी ने बैंक के उक्त रुख को प्रतिग्रहण करना नहीं किया और अधिनियम की खंड 5(6ए) के तहत खरीद कर लगाया, जिसकी राशि कुल कर योग्य निर्दिष्ट मूल्य 25,00,00,000/- पर 1,00,04,000/- रुपये थी। मूल्यांकन के आदेश में, आकलन प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि 18 मार्च, 1992 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित योजना, जिसमें धारक द्वारा आयात- शुल्क लेखों की बिक्री और नामित बैंकरों द्वारा खरीद का प्रावधान है और इसके परिणामस्वरूप बैंकरों द्वारा इस तरह की बिक्री या खरीद को किसी भी तरह से समर्पण के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी माना गया कि बैंकरों द्वारा उसके धारकों से एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद उतनी ही बिक्री थी जितनी कि निजी आयातकों द्वारा की गई खरीद थी, जिन्होंने वस्तुओं के आयात के लिए इसका लाभ उठाया था।

9. मूल्यांकन के उपरोक्त आदेश पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलकत्ता (दक्षिण) सर्कल के समक्ष एक अपील में हमला किया गया था, जिन्होंने 19 सितंबर, 1996 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और मूल्यांकन के आदेश की पुष्टि की। संबंधित शाखा के बैंक प्रबंधक और एस. बी. आई. के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') का दरवाजा खटखटाया। अपील की सुनवाई के दौरान एस. बी. आई. की ओर से यह तर्क दिया गया कि

अधिनियम की खंड 4 (6) (iii) की शरारत को आकर्षित करने के आदेश में, एक व्यापारी को उपरोक्त अधिनियम की खंड 4 (1), 4 (2), 4 (4) या 8 (3) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और चूंकि उक्त बैंक उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक व्यापारी नहीं था, इसलिए उक्त अधिनियम की खंड 4 (6) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उसका कोई दायित्व नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उनके धारकों से एक्ज़िम स्क्रिप की वसूली से जुड़े लेनदेन को उपरोक्त अधिनियम की खंड 4 (6) के उद्देश्य के लिए "खरीद" नहीं माना जा सकता है, बल्कि धारकों द्वारा "समर्पण" के बराबर माना जा सकता है, जिसे शाखा स्तर पर गलत तरीके से "खरीद" के बराबर माना गया था। एक और रुख अपनाया गया कि खंड 4 (6) को लागू करने के लिए, खरीद अनिवार्य रूप से एक्ज़िम स्क्रिप को फिर से बेचने के इरादे से की गई होगी और यह उपरोक्त अधिनियम की खंड 4(6) के खंड (i) और (iii) के उचित अध्ययन से स्पष्ट होगा। यह तर्क दिया गया था कि यदि इस तरह के निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो खंड 4(6) का खंड(iii) असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

10. न्यायाधिकरण ने 11 फरवरी, 1998 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थियों की ओर से की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उनके द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है, एस. बी. आई. ने खरीद कर नहीं लगाया था, जब मामला न्यायाधिकरण के पास गया, तो सवाल उठा कि क्या बैंक अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत के प्रीमियम पर भुगतान करके या उसके अप्रयुक्त अंकित मूल्य पर भुगतान करके अधिनियम की खंड 4 (6) (iii) के साथ पठित खंड 5 (6) के तहत खरीद कर के लिए उपयुक्त था। न्यायाधिकरण ने तथ्यों को सुना और निर्धारिती और राजस्व के रुख और रुख को नोट किया और यह अभिनिर्धारित किया कि बैंक ने आर. बी. आई. के एजेंट के रूप में विवादित लेनदेन के संबंध में कार्य किया था, जो

कि भारत सरकार का एक साधन है, ताकि उसके धारकों को प्रीमियम के भुगतान पर एक्ज़िम स्क्रिप प्रतिग्रहण करना किया जा सके और इस प्रकार गतिविधि खंड 6 (1) (ए) और (बी) द्वारा कवर की गई है; कि खंड 6 (1) (एन) के तहत ऐसी गतिविधि निश्चित रूप से कंपनी के व्यवसाय के प्रचार या प्रगति के लिए "आकस्मिक" या "निर्णायक" थी, क्योंकि प्रतिग्रहण करना किया जाता है कि निर्धारिती को इन लेनदेन के लिए कमीशन प्राप्त हुआ था; कि यह रुख था कि बैंक नहीं था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को ध्यान में रखते हुए एक व्यापारी अस्वीकार्य था, क्योंकि जब अधिनियम की खंड 8 का सही अर्थ लगाया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि उसके द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद निषिद्ध नहीं थी; कि एक्ज़िम स्क्रिप वे सामान थे जो विकास बिक्री निगम और एक अन्य बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और दूसरे में निर्णायक रूप से तय किए गए हैं; कि इस प्रभाव के लिए प्रस्तुत करना कि खरीद पुनर्विक्रय के लिए नहीं की गई है और इसलिए, बैंक कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि विधायिका केवल पुनर्विक्रय के उद्देश्य से खरीद पर विचार या निर्धारित नहीं करती है कि खंड 4 (6) (iii) केवल पुनर्विक्रय के उद्देश्य से खरीद पर लागू होगी, लेकिन इस अभिव्यक्ति को अनिर्दिष्ट और अयोग्य छोड़ दिया है, कि कोई तर्कसंगत नहीं है। इस तरह के निर्णय के बाद, न्यायाधिकरण ने अधिनियम की खंड 2 (1) के तहत पूर्वाहनिभाषित व्यवसाय की अवधारणा पूर्वाह्न विचार किया, जिसमें बिक्री कर आयुक्त बनाम बिलियन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य बनाम बर्मा शेल कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया है। जिला भंडार नियंत्रक बनाम ए. सी. कराधान अधिकारी और तमिलनाडु राज्य बनाम बिन्नी लिमिटेड, मद्रास, राजस्व बोर्ड बनाम ए. एम. अंसारी और गुजरात राज्य बनाम रायपुर विनिर्माण कंपनी लिमिटेड और उन पूर्वाहन विचार- विमर्श करने के बाद, यह सवाल उठाया कि क्या केवल नियमितता या आवृत्ति के तत्व की कमी, जब अन्य तत्व मौजूद हैं, तो

क्या लेनदेन को "व्यवसाय" के दायरे से बाहर रखने के लिए पूर्वाहन्यास होगा और राय दी कि जहां व्यवसाय करने का इरादा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था, केवल नियमितता या आवृत्ति के तत्व की कमी व्यावसायिक लेनदेन को गैर- व्यावसायिक लेनदेन में पूर्वाहनिवर्तित नहीं करेगी और एक "व्यापारी" को "गैर- व्यापारी" नहीं बनाएगी। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, न्यायाधिकरण ने अधिनियम की खंड 2 (सी) के तहत "विक्रेता" की परिभाषा और "व्यवसाय" की परिभाषा और अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया और उस संदर्भ में, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एच. अब्दुल बखी और ब्रदर्स को संदर्भित किया। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 'और यह माना कि लाभ का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार "व्यवसाय" वास्तव में व्यापार या वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में कुछ गतिविधि को जोड़ता है जो खेल या आनंद या दान के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार, "व्यवसाय" की परिभाषा के प्राथमिक या मुख्य भाग और इसके समावेशी भाग के बीच बहुत कम अंतर है, जिसका मूल रूप से अर्थ है, वर्तमान संदर्भ में, कोई भी व्यापार या वाणिज्य या इसी तरह की गतिविधि और ऐसे व्यापार या वाणिज्य के संबंध में या सहायक या आनुषंगिक कोई लेनदेन मुद्रा के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से विनिमय की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि तत्काल मामले में एक्जिम स्क्रिप की खरीद मुद्रा के लिए स्क्रिप के आदान-प्रदान के माध्यम से की गई थी, जो कि वित्तीय साधन हैं। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने व्यापार और वाणिज्य शब्दों के अर्थ का उल्लेख किया और ब्लैक के कानून शब्दकोश और अय्यर के न्यायिक शब्दकोश सहित कुछ अन्य शब्दकोशों में कहा और अंततः इस प्रकार माना गयाः-

> "इस प्रकार, पैसे के लिए एक्जिम स्क्रिप्स की खरीद, जिसमें एक बड़ी मात्रा (कम से कम रु 25 करोड़) हर मायने में खंड 2 (1ए) के अर्थ में एक "व्यवसाय" है। ऐसा होने पर, आवेदक बैंक इस तथ्य के

अलावा कि वह पहले से ही सोने की बिक्री के लिए एक पंजीकृत विक्रेता था, खंड 2 (सी) के तहत एक "व्यापारी" बन गया। चूंकि सोने की बिक्री का एक्जिम स्क्रिप की खरीद से कोई संबंध नहीं है, इसलिए बाद के लेनदेन को सोने की बिक्री के संबंध में या सहायक या आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार में, एक्जिम स्क्रिप्स की खरीद आवेदक बैंक का एक अलग "व्यवसाय" था। बैंक की ओर से एक बिंदु पर तर्क दिया गया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत यह गतिविधि करनी थी। यह तथ्य कि यह ऐसा था, इंगित करता है कि इसे एक व्यवसाय के रूप में और इसे एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने के इरादे से चलाया गया था।"

11. इसके बाद, इसने राय दी कि एस. बी. आई. एक साधारण व्यवसायी नहीं है, बल्कि यह एक अधिनियम द्वारा बनाया गया निकाय है। वैधानिक योजना और दायित्व का विश्लेषण करते हुए, इसने इस प्रकार कहाः

"हमें इस अंतर को ध्यान में रखना होगा जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या बैंक द्वारा व्यापार करने के इरादे से एक व्यवसाय के रूप में एक्जिम स्क्रिप की खरीद की गई थी। यह निर्विवाद है कि बैंक ने न केवल एक्जिम स्क्रिप खरीदने के लिए पैसे का भुगतान किया, बल्कि लेन- देन से कमीशन प्राप्त करके कुछ लाभ भी कमाया। बिना किसी कमीशन के भी गतिविधि स्पष्ट रूप से एक "व्यवसाय" का गठन करती है। एक और सवाल हैः भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत गतिविधि कब की गई थी, क्या यह कहा जा सकता है। "व्यवसाय" बनने के लिए? मामले के तथ्यों में, एक्जिम स्क्रिप की खरीद की अनिवार्य प्रकृति ऐसी नहीं थी जो इसे "व्यवसाय" के दायरे

से बाहर ले जाए। बैंक किसी भी एक्जिम स्क्रिप के धारक को उसे बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, यह धारक की ओर से बैंक को स्क्रिप बेचने के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक था। जैसे ही कोई धारक बेचने के लिए अपनी राय देता है और बैंक को एक स्क्रिप देता है, बैंक इसे पैसे के भुगतान पर खरीदता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एक्जिम स्क्रिप की खरीद के शुल्क के प्रदर्शन की अनिवार्य प्रकृति 1955 के अधिनियम से निकलती है जिसने बैंक का निर्माण किया था। किसी भी अन्य विक्रेता के विपरीत, आवेदक बैंक 1955 के अधिनियम के प्रावधानों से परे कार्य करने के बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए मामले की विशेष परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश में शामिल मजबूरी का तत्व अप्रासंगिक है। उस पहलू के अलावा, हम कॉफी बोर्ड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त (1988) 70 एस. टी. सी. 162 (एस. सी.) के मामले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह माना गया था कि एक बिक्री थी, जहां कॉफी के उत्पादकों ने बोर्ड को कॉफी वितरित की थी, हालांकि उत्पादकों ने वास्तव में इसे नहीं बेचा था। यह कानून के संचालन द्वारा एक बिक्री थी। कॉफी की ऐसी बिक्री पर बिक्री कर लगाने को बरकरार रखा गया। उपरोक्त दृष्टिकोण से हमारा मानना है कि आवेदक बैंक द्वारा एक्जिम स्क्रिप की खरीद को 1941 के अधिनियम के तहत खरीद कर के रूप में लाया गया था।"

12. उक्त आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिकाकर्ता में चुनौती दी गई थी जिसमें यह तर्क दिया गया था कि बैंक एक्ज़िम स्क्रिप्स के संबंध में अधिनियम की खंड 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक "डीलर" नहीं था क्योंकि यह ऐसे

एक्ज़िम स्क्रिप्स की बिक्री या खरीद का व्यवसाय नहीं करता है और/या नहीं करता है; कि वर्तमान मामले में यह केवल एक अकेला मामला था और वह भी 23 मार्च, 1992 से 31 मई, 1992 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए, लेकिन उक्त अवधि से पहले या बाद में न तो ऐसा कोई लेनदेन किया गया था जो न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को उचित ठहरा सकता है कि निर्धारिती- बैंक का एक्ज़िम स्क्रिप्स की खरीद में व्यवसाय करने का इरादा था और केवल नियमितता या आवृत्ति की कमी थी। मेरा, अर्थात, एस. बी. आई. का इरादा एक्ज़िम स्क्रिप्स की खरीद में व्यवसाय करने का था; कि भले ही बैंक को एक डीलर के रूप में माना जाना था, खंड 4 (6) (iii) के प्रावधानों को बैंक द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से संबंधित होना होगा क्योंकि उक्त प्रावधान अन्यथा अस्पष्टता से पीड़ित होंगे और संवैधानिक वैधता के आधार पर हमले के लिए उजागर होंगे; कि अधिनियम की योजना और प्रासंगिक प्रावधान के इरादे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एक डीलर पर खरीद कर केवल तभी लगाया जा सकता है जब वह विचाराधीन माल की खरीद या बिक्री का व्यवसाय करता है; कि लेनदेन की प्रकृति जो भी हो, बैंक ने केवल आर. बी. आई. के एजेंट के रूप में कार्य किया था। बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (ऊपूर्वाहन), राजस्व बोर्ड बनाम ए. एम. अंसारी और बिलियन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड (ऊपूर्वाहन) के फैसलों पूर्वाहन भरोसा जताया।

13. वाणिज्यिक कर अधिकारी के विद्वान अधिवक्ता ने बैंक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बैंक द्वारा उठाए गए विवाद को विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में तीन- न्यायाधीशों की पीठ ने शांत कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस थाना में निर्णय को मंजूरी दी थी। परिधान बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास राजस्व द्वारा यह आग्रह किया गया था कि आर.ई.पी. लाइसेंस वस्तु है और उसके हस्तांतरण द्वारा प्राप्त प्रीमियम या मूल्य अधिनियम की खंड

4(6)(iii) के दायरे में बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है और इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि निर्धारिती बैंक द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद से जुड़े लेनदेन को बिक्री के बराबर नहीं पाया जा सकता है। यह भी बताया गया कि विकास बिक्री निगम (सुप्रा), पुलिस थाना में दिए गए अधिकार को देखते हुए विधायिका की मंशा स्पष्ट थी। परिधान (सुप्रा) और भारत फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त मामले में निर्णय "वास्तव में कुछ भी तय नहीं किया जाना बाकी है।

14. उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उद्धृत सभी प्राधिकरणों के सिद्धांतों का विश्लेषण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय की राय है कि आर.ई.पी. लाइसेंस/एक्ज़िम स्क्रिप वाणिज्यिक दुनिया में माल और/या सामान थे और बाजार में स्वतंत्र रूप से खरीदे और बेचे जाते थे और इसलिए, कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वे वाणिज्यिक लेनदेन के उद्देश्यों के लिए माल का गठन नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने एस. बी. आई. की निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद के संबंध में आर. बी. आई. द्वारा 18 मार्च, 1992 को जारी परिपत्र का उल्लेख किया और कहा कि उक्त एक्ज़िम स्क्रिप को केवल रद्द करने के उद्देश्य से बैंक को सौंप दिया गया था और इसका उपयोग वाणिज्यिक लेनदेन के उद्देश्य से माल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के अनुसार, उन्हें केवल कागज तक सीमित कर दिया गया था जिसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं था। खण्ड पीठ ने इस न्यायालय के साथ-साथ मद्रास और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को अलग किया। इसने आगे यह मत व्यक्त किया कि एस.बी.आई. द्वारा की गई खरीद बैंक के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्रभावित नहीं हुई थी, क्योंकि यह एक बार का मामला था और इस तरह के लेनदेन में कोई निरंतरता या नियमितता शामिल नहीं थी ताकि इसे व्यवसाय की अवधारणा के भीतर लाया जा सके। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दें कि बैंक मुख्य रूप से सोने और चांदी की खरीद और बिक्री तक ही

सीमित था। राजस्व की ओर से, यह तर्क दिया गया कि बैंक अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता था, लेकिन उक्त प्रस्तुतिकरण उच्च न्यायालय के साथ वजन नहीं करता था क्योंकि जैसा कि विवादित आदेश से पता चलता है, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से राजी किया गया है। इसके बाद, उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः-

> "56.....हम राजस्व की ओर से दिए गए तर्कों को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर अपनी बहुत ही वाणिज्यिक प्रकृति को नष्ट करने के उद्देश्य से एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद, रिट याचिकाकर्ता बैंक द्वारा ऐसे एक्ज़िम स्क्रिप में किए जा रहे व्यवसाय के बराबर है। बैंक द्वारा एक्ज़िम शेयरों को खरीदे जाने के बाद उन्हें बेचने का कोई सवाल ही नहीं था, पूरा लेनदेन बाजार से एक्ज़िम शेयरों को हटाने के लिए एक मोपिंग अप ऑपरेशन की प्रकृति में प्रतीत होता है।
>
> 57. हमारे द्वारा लिए गए इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता- बैंक द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप की खरीद 1941 के अधिनियम की खंड 4(6)(iii) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती है, हम श्री घोष के दूसरे निवेदन में जाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि उपरोक्त प्रावधान या तो अस्पष्ट थे या अनिश्चित थे और इस प्रकार असंवैधानिक थे। इसलिए हम इस मुद्दे पर आगे विस्तार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
>
> 58. हमने ऊपर जो संकेत दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए, हम विद्वत न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश को बनाए रखने में

असमर्थ हैं और हम, तदनुसार, इसे दरकिनार कर देते हैं और हम वाणिज्यिक कर अधिकारी, पार्क स्ट्रीट चार्ज द्वारा पारित 30 जून, 1995 के मूल्यांकन के आदेश को भी रद्द कर देते हैं, साथ ही 19 सितंबर, 1996 के आदेश को भी रद्द कर देते हैं, जिसे सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलकत्ता (दक्षिण) सर्कल द्वारा अपील मामले सं. बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की खंड 20 (1) के तहत ए 495/1995-96 उपरोक्त निष्कर्ष में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को अनुमति देना शामिल था और इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को शुरू में पारित अंतरिम आदेश को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए वचन से मुक्त कर दिया गया था।"

15. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र जी, चौधरी और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चिरारंजन अडे के साथ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री प्रदीप कुमार घोष को सुना है।

16. विवाद की सराहना करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे के अध्यक्ष को 18 मार्च, 1992 को भेजे गए संचार को निकालना उचित है। उक्त पत्र इस प्रकार हैः-

"प्रिय महोदय,

एस. बी. आई. की निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा एक्ज़िम स्क्रिप्स की खरीद।

यह श्री के साथ हमारी चर्चा के संदर्भ में है। बी. एस. पांड्या, महाप्रबंधक (घरेलू और संचालन) शीर्षक वाले विषय पर इस बात पर सहमति बनी है कि भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाएं 23 मार्च, 1992 से उन धारकों से 'एक्ज़िम स्क्रिप्स' की खरीद शुरू करेंगी, जो उनका निपटान करना चाहते हैं और स्क्रिप के अंकित मूल्य (अप्रयुक्त

अंकित मूल्य) पर 20 प्रतिशत के प्रीमियम पर, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीनः

क) स्क्रिप धारक को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट शाखा में एक आवेदन जमा करना होगा।

ख) भारतीय स्टेट बैंक, अपने कानूनी विभाग के परामर्श से, स्क्रिप के धारक द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र में एक उपयुक्त क्षतिपूर्ति खंड को शामिल करेगा।

ग) चूंकि स्क्रिप एक पत्र द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक स्क्रिप प्रस्तुत करने वाले धारक के पक्ष में पत्र का सत्यापन करेगा और फिर उस व्यक्ति की पहचान के लिए अपनाई गई सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के आधार पर भुगतान करेगा जिसे भुगतान किया जाता है।

घ) भुगतान निकटतम रुपये में पूरा किया जाएगा और केवल क्रॉस किए गए बैंकर के चेक के माध्यम से किया जाएगा।

"एक्ज़िम स्क्रिप" शब्द में निर्यात आय के 29 फरवरी 1999 तक जारी किए गए पोस्ट पेड आर. ई. पी. लाइसेंस भी शामिल होंगे।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे मुख्य शाखा, अपनी विभिन्न निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा भुगतान किए गए शेयरों का दैनिक विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी और फिर उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे से समेकित आधार पर दैनिक प्रतिपूर्ति की मांग करेगी।

च) एस. बी. आई. की निर्दिष्ट शाखाएँ भुगतान किए गए लेखों के विवरण को बनाए रखेंगी, जिसमें ऐसी अवधि के लिए आवेदन पत्र भी शामिल हैं जिन्हें आवश्यक माना जा सकता है। बॉम्बे की मुख्य शाखा अपने विभिन्न निर्दिष्ट कार्यालयों द्वारा किए गए भुगतानों का विवरण बनाए रखेगी, जिसके आधार पर उनके द्वारा भारतीय रिजर्व

बैंक, बॉम्बे से प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था।

छ) भुगतान किए गए स्क्रिप्स को उपयुक्त रूप से रद्द कर दिया जाएगा और जेसीसीआई और ई के संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाएगा जिसने स्क्रिप्स जारी किए थे। 5 लाख रुपये तक के अंकित मूल्य के शेयरों के मामले में, जेसीसीआई और ई. के संबंधित कार्यालय को एस. बी. आई. द्वारा रद्द किए गए शेयरों की वास्तविकता की जांच करने और भुगतान के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, तो एस. बी. आई. के संबंधित निर्दिष्ट कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जाना चाहिए।

ज) यदि 5 लाख रुपये तक के अंकित मूल्य के किसी भी स्क्रिप के मामले में (जिसका भुगतान जेसीसीआई और ई के कार्यालय द्वारा पूर्व जांच के बिना किया जाता है), बाद में यह पता चलता है कि स्क्रिप वास्तविक नहीं थी या वैध रूप से जारी नहीं की गई थी आदि, इस मामले को जेसीसीआई के कार्यालय द्वारा आगे बढ़ाना होगा।

i) भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कार्य करेगा और उसे उस दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा जिस दर पर उसे सरकारी कार्य करने के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है। उन्हें निर्दिष्ट शाखाओं को अधिसूचित करने वाले विज्ञापनों पर किए गए खर्चों सहित अपनी जेब से खर्च का भी भुगतान किया जाएगा।

2. जैसा कि आप चाहते हैं, हमने आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को भी सलाह दी है कि वे अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एस. बी. आई. की निर्दिष्ट शाखाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दें कि वे तुरंत (मान लीजिए, 48 घंटों के भीतर) उन्हें 5 लाख रुपये से अधिक अंकित मूल्य के शेयरों का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करें और भेजे गए रुपये के अंकित मूल्य

तक स्क्रिप्स की जांच के उनके निष्कर्ष बिना किसी पूर्व प्रमाणीकरण के 5 लाख का भुगतान किया गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जेसीसीआई और ई बॉम्बे को उनकी वास्तविकता की जांच करने के लिए एक्ज़िम स्क्रिप की महत्वपूर्ण विशेषताओं वाली एक चेक सूची के साथ आपकी सहायता करने के लिए सलाह दें।"

[जोर दिया गया]

17. उपरोक्त, जैसा कि स्पष्ट है, एस. बी. आई. को आर. बी. आई. के एजेंट के रूप में एक्ज़िम स्क्रिप खरीदने के लिए अधिकृत करता है और धारक को मूल्य के 20 प्रतिशत पर प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, स्क्रिप को रद्द किया जाना था। कुछ औपचारिकताओं का पालन धारक के साथ- साथ एस. बी. आई. द्वारा भी किया जाना निर्धारित किया गया था।

18. अधिनियम की खंड 2(1ए) "व्यवसाय" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

""व्यवसाय" में शामिल हैं-

(i) कोई भी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या कार्य अनुबंध का निष्पादन या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या कार्य अनुबंध का निष्पादन, चाहे वह व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्य अनुबंध का निष्पादन, साहस या उद्यम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है या नहीं और क्या ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्य अनुबंध के निष्पादन, साहस या उद्यम से कोई लाभ प्राप्त होता है या नहीं; और

(ख) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्य अनुबंध के निष्पादन, साहसिक कार्य या संस्था के संबंध में या सहायक या आनुषंगिक कोई लेनदेन;

19. "विक्रेता" शब्द को खंड 2 (iv) (c) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

""व्यापारी" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो पश्चिम बंगाल में माल बेचने या निर्दिष्ट परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल में माल खरीदने का व्यवसाय करता है या खंड 6 डी के तहत बिक्री करने वाला कोई भी व्यक्ति और इसमें शामिल हैं-

केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सांविधिक निकाय, न्यास या अन्य निगमित निकाय, जो या इस खंड के तहत विक्रेता के रूप में परिभाषित व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक या प्रासकर्ता, जो व्यवसाय के दौरान नकद या विलंबित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए सीधे या अन्यथा बेचता है, आपूर्ति करता है या वितरित करता है।

स्पष्टीकरण 1— एक सहकारी समिति या एक क्लब या कोई भी संघ जो अपने सदस्यों को सामान बेचता है, एक व्यापारी होता है।

स्पष्टीकरण 2— एक कारक, एक दलाल, एक कमीशन एजेंट, एक डेल क्रेडिट एजेंट, एक नीलामीकर्ता, माल के संचालन या परिवहन के लिए एक एजेंट या माल या किसी अन्य व्यापारिक एजेंट को स्वामित्व के दस्तावेज को संभालने के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, और चाहे वह उसी विवरण का हो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है या नहीं, जो माल बेचने का व्यवसाय करता है और जिसके पास है। व्यापार के प्रथागत पाठ्यक्रम में, प्रधानाचार्यों से संबंधित वस्तुओं को बेचने का अधिकार एक व्यापारी है।

20. अधिनियम की खंड 2 (डी) "माल" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

"माल में कार्रवाई योग्य दावों, शेयरों, शेयरों या प्रतिभूतियों के अलावा सभी प्रकार की चल संपत्ति शामिल है।"

21. अधिनियम की खंड 4 कराधान की घटनाओं से संबंधित है। अधिनियम की खंड 4 की उप- खंड (6) इस प्रकार हैः-

"(6) प्रत्येक विक्रेता, जो इस खंड की उप- खंड (1) या उप- खंड (2) या उप- खंड (4) या खंड 8 की उप- खंड (3) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है और इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, उसमें निर्दिष्ट कर के अलावा, इस अधिनियम के तहत अपनी सभी खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा-

(i) एक व्यापारी जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, [सोना, चावल (ओरिजा सैटिवा एल.) और गेहूं (ट्रिटिकम वल्गारे, टी. कॉम्पैक्टम, टी, स्फेरोकोकम, टी. ड्यूरम, टी के अलावा अन्य वस्तुओं का, एस्टिवम एल., टी. डिकोक्कम)], जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में बिक्री के लिए माल के निर्माण में और इस तरह से खरीदे गए या निर्मित माल की पैकिंग के लिए कंटेनरों और अन्य सामग्रियों के सीधे उपयोग के लिए है;

(ख) एक पंजीकृत व्यापारी, जिसे खंड 5 की उप- खंड (1) के खंड (ख) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसी घोषणा के विरुद्ध खरीदी गई वस्तुओं की उक्त खंड के उप- खंड (i) या उप- खंड (ii) में निर्दिष्ट बिक्री के संबंध में उसके द्वारा एक घोषणा दी गई है या दी जाएगी, और जिसका उपयोग उसने सीधे पश्चिम बंगाल में विनिर्माण में किया है।

माल या ऐसे माल की पैकिंग में, जब इस तरह के निर्मित माल को उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है या उसके द्वारा निपटाया जाता है, अन्यथा पश्चिम बंगाल में बिक्री के माध्यम से।

(iii) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह व्यापारी हो या नहीं जो खंड (i) में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा किसी उद्देश्य के लिए सोने, चावल और गेहूं के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है।""

22. खंड 6सी खरीद कर और उसकी दर के भुगतान के लिए दायित्व निर्धारित करती है।

23. हमने उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया है क्योंकि राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रावधानों की अवधि पर जोर देंगे और प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी बैंक एक व्यापारी है और एक बार जब उसने कुछ खरीदा है, जो कि माल है, तो वह खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। संक्षेप में, राज्य का विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का पूरी तरह से बचाव करेगा और तर्क देगा कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्कोर और लेनदेन पर लागू प्रावधानों की सराहना में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।

24. विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में, यह प्रश्न उठा कि क्या उसके धारक द्वारा आर. ई. पी. लाइसेंस/एक्ज़िम स्क्रिप नामक आयात लाइसेंस का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बिक्री कर अधिनियमों के अर्थ के भीतर और उनके उद्देश्यों के लिए माल की बिक्री का गठन करता है और यदि ऐसा करता है, तो यह बिक्री कर के लिए अनिवार्य है, अन्यथा नहीं। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया था कि आर. ई. पी. लाइसेंस/एक्ज़िम स्क्रिप्स माल का गठन करते हैं और इसलिए, उनके हस्तांतरण पर, बिक्री कर लगाया जा सकता है और उच्च न्यायालय का निर्णय एच. अनराज बनाम तमिलनाडु सरकार में इस न्यायालय के फैसले पर आधारित था, इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि

लाइसेंस/स्क्रिप्स माल नहीं हैं और इसलिए वे संपत्ति नहीं हैं। यह भी आग्रह किया गया कि वे केवल उन वस्तुओं के आयात की अनुमति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अनुमति लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है और इसलिए, वे वास्तव में शेयर और प्रतिभूतियों की प्रकृति में हैं जिन्हें संबंधित अधिनियमों में वस्तुओं की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए, तीन- न्यायाधीशों की पीठ ने "आयात और निर्यात नीति 1990- 93" के पैरा 199 का उल्लेख किया जो आरईपी लाइसेंसों की हस्तांतरणीयता से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः-

> "199. (1) आर. ई. पी. लाइसेंस केवल पंजीकृत निर्यातक के नाम से जारी किया जाएगा और 'वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों' के अधीन नहीं होगा। एक लाइसेंस धारक किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस हस्तांतरित कर सकता है। अनुज्ञप्ति धारक या ऐसा स्थानांतरितीकर्ता उसमें अनुमत वस्तुओं का आयात कर सकता है।
>
> (2) आर. ई. पी. लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए लाइसेंस प्राधिकरण से किसी भी समर्थन या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी यह सामान्य कानून द्वारा शासित होगा। तदनुसार, इस नीति के तहत जारी आर. ई. पी. लाइसेंस द्वारा कवर किए गए सामान की निकासी की अनुमति सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण द्वारा केवल अपने नाम से संबंधित लाइसेंस के स्थानांतरिती के दस्तावेज को पेश करने पर दी जाएगी, जब भी आर. ई. पी. लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है तो स्थानान्तरण को स्थानान्तरण को एक औपचारिक पत्र देना चाहिए, जिसमें स्थानान्तरण की संख्या, तिथि और पते के बारे में पूरा विवरण होना चाहिए, और आयात की वस्तुओं का पूरा विवरण

जिसके लिए लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है।"

25. न्यायालय ने यह भी कहा कि एक्ज़िम स्क्रिप्स की प्रासंगिक विशेषताएं आर. ई. पी. लाइसेंस के समान हैं। इसके बाद, न्यायालय ने आगे कहाः-

"उन्हें इस तरह खरीदा और बेचा जाता है। मूल लाइसेंसधारी या खरीदार इसके तहत अनुमत माल का आयात करने के लिए बाध्य नहीं है वह इसे दूसरे को और दूसरे को बेच सकता है। दूसरे शब्दों में, इन लाइसेंसों/एक्ज़िम स्क्रिप्स का अपना एक अंतर्निहित मूल्य है और इनका व्यापार इस तरह किया जाता है। उन्हें वाणिज्यिक दुनिया में माल के रूप में माना जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आर. ई. पी. लाइसेंस/एक्ज़िम स्क्रिप न तो एक चुनी हुई कार्रवाई है और न ही एक कार्रवाई योग्य दावा है। यह स्वामित्व विलेख की प्रकृति में भी नहीं है। इसका अपना एक मूल्य है। यह अपने आप में एक संपत्ति है और यही कारण है कि इसे बाजार में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, यह माल है। उन वस्तुओं से संबंधित नहीं है जिन्हें इसके आधार पर आयात किया जा सकता है, यह एक मूल्य का आदेश देता है और इस तरह से व्यापार किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपने धारक को उन वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाता है जो वह अन्यथा नहीं कर सकता।

और फिर सेः-

"श्री के. वी. मोहन की लिखित दलीलों में एक और तर्क उठाया गया है कि भले ही उक्त लाइसेंसों/लेखों को माल के रूप में माना जाता है,

कर बिक्री के पहले बिंदु पर लगाया जाना चाहिए, अर्थात, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी पर हम सहमत नहीं हो सकते। लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत निर्यातक को लाइसेंस देना बिक्री नहीं है। बिक्री तब होती है जब पंजीकृत निर्यातक या खरीदार इसे किसी अन्य व्यक्ति को विचार के लिए बेचता है।"

26. उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उपरोक्त प्राधिकरण को अलग किया है कि इस न्यायालय के पास एस. बी. आई. द्वारा किए गए एक्ज़िम शेयरों की खरीद के प्रभाव पर विचार करने का अवसर नहीं था, क्योंकि यह उसके द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले व्यवसाय का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक लेनदेन था जो आर. बी. आई. के निर्देश पर किया जाना था। आयात- पत्र अब वाणिज्यिक लेन- देन के उद्देश्य से "वस्तुओं" के रूप में उपलब्ध नहीं थे और इन्हें केवल उन कागजों तक सीमित कर दिया जाना था जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं था और इस तरह के परिदृश्य ने पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। उच्च न्यायालय ने एक्जिम स्क्रिप्स को तत्काल रद्द करने और रद्द करने के बाद मूल अनुदान प्राधिकरण को भेजने पर जोर दिया है।

27. हमारी सुविचारित राय में, मामले में शामिल विवाद का विश्लेषण मौजूदा तथ्यात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि सरकार द्वारा पंजीकृत निर्यातकों को लाइसेंस का प्रारंभिक अनुदान बिक्री नहीं था। उक्त खोज महत्वपूर्ण है और इसमें शक्ति है। यह भी देखा गया है कि उक्त प्राधिकरण व्यापक रूप से एच. अनराज (उपरोक्त) में पहले के फैसले पर निर्भर करता है जो इस सवाल से निपटता है कि क्या लॉटरी टिकट "सामान" हैं और तदनुसार क्या इसकी बिक्री पर बिक्री कर लगेगा। एच. अनराज (सुप्रा) लॉटरी टिकट और स्टीमशिप टिकट, रेलवे टिकट, सिनेमा टिकट आदि के बीच अंतर करते हैं। सैल्मंड्स ज्यूरिसप्रूडेंस, पृष्ठों पर 12 "संस्करण" समझौतों के वर्ग "शीर्षक

के तहत तीन वर्गों के बीच अंतर करने के लिए उद्धृत किया गया था, अर्थात्, अधिकार पैदा करने वाले समझौते, अधिकार हस्तांतरित करने या सौंपने वाले समझौते, और अंत में समझौते जो उन्हें समाप्त करते हैं। अधिकार पैदा करने वाले समझौतों को दो उप-वर्गों में विभाजित किया गया था, अर्थात् अनुबंध और अनुदान। एक अनुबंध एक समझौता है, जो पार्टियों के बीच एक मुकदमे में से एक दायित्व या अधिकार बनाता है, जबकि एक अनुदान दूसरे विवरण जैसे पट्टे, असाइनमेंट, पेटेंट आदि का अधिकार बनाता है। एक समझौता, जो एक अधिकार को हस्तांतरित करता है, को सामान्य रूप से एक असाइनमेंट कहा जा सकता है। हालांकि, जब कोई लेन-देन किसी अधिकार को समाप्त कर देता है, तो इसे रिहाई, निर्वहन या समर्पण कहा जाता है। अनुदान द्वारा अधिकार के निर्माण और बाद के हस्तांतरण या कार्य के बीच के अंतर को एच. अनराज (सुप्रा) में भी उजागर किया गया था और सब्यसाची मुखर्जी, जे. (तब उनके प्रभु के रूप में) ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपने समवर्ती निर्णय में उल्लेख किया थाः-

> "41. डीलरों की ओर से हमारे सामने यह आग्रह किया गया था कि लॉटरी टिकट जारी करने से खरीदारों में पहली बार ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार पैदा हो। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया गया था कि लॉटरी टिकट की बिक्री से पहली बार भाग लेने का अधिकार बनाया जाए; यदि इसे "अनुदान" माना जाता है और माल की बिक्री के रूप में, यह तर्क दिया गया था कि लॉटरी टिकट की बिक्री से पहले ऐसा अधिकार मौजूद नहीं था। इस विवाद ने मुझे न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से चिंतित कर दिया है।
>
> 42. मैं इस संबंध में सहमत हूं कि "अनुदान" एक प्रकार का समझौता है जो अनुदान प्राप्तकर्ता में अधिकार पैदा करता है और एक

समझौता जो अधिकारों के हस्तांतरण को असाइनमेंट कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अनुदान से पहले क्या अनुदानकर्ता के पास ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार मौजूद था?मुद्दा यह है कि लॉटरी टिकट जारी करने में शामिल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है और लॉटरी टिकट जारी होने के बाद ही अनुदान प्राप्तकर्ता को भाग लेने का अधिकार मिलता है। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया गया था कि लॉटरी में, इसे प्रायोजित करने वाले प्रवर्तक को भाग लेने या ड्रॉ में पुरस्कार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और ये पहली बार लॉटरी टिकट की खरीद से अस्तित्व में आते हैं जब वह टिकट खरीदता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार का कोई हस्तांतरण शामिल है, लेकिन केवल अनुदानकर्ता के पक्ष में अनुदानकर्ता द्वारा नए अधिकार का निर्माण किया जाता है।"

उपरोक्त पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों में कहा गया है कि किसी अनुदान में शामिल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है, क्योंकि अधिकार खरीद के बाद अस्तित्व में आते हैं।

28. एच. अनराज (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को सनराइज एसोसिएट्स बनाम दिल्ली एन. सी. टी. की सरकार और अन्य में संविधान पीठ द्वारा कई आधारों पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि जीतने के अवसर और ड्रॉ में भाग लेने के अधिकार के बीच कोई अंतर नहीं था। इस तरह का उप- विभाजन सही नहीं था। ड्रॉ में भाग लेने के अधिकार का कोई मूल्य नहीं था। इसलिए, लॉटरी टिकट "सामान" नहीं थे, बल्कि कार्रवाई योग्य दावे थे। ये केवल खरीदे गए अवसरों का संकेत थे और अन्यथा भी ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार एक चल संपत्ति नहीं थी और इसलिए, एक चल संपत्ति में लाभकारी ब्याज का कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता है। इसका कारण

यह है कि लॉटरी ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार एक कार्रवाई योग्य दावा था, हमारे उद्देश्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण बिक्री कर लगाने के लिए "माल" शब्द से संबंधित संविधान पीठ की टिप्पणियां होंगी, जो इस संदर्भ में देखी गई थी, स्वामित्व के विषय के अपने सामान्य अर्थ को ले जाएगी और माल के हित की प्रकृति को नहीं दर्शाती है। "माल" शब्द का उपयोग वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता था। उक्त पहलू पर सनराइज एसोसिएट्स (सुप्रा) में संविधान पीठ के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:

> "35. बिक्री कर लगाने के उद्देश्यों के लिए "माल" शब्द को विभिन्न बिक्री कर कानूनों में समान रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है चल संपत्ति के प्रकार। "संपत्ति" शब्द माल में ब्याज की प्रकृति को दर्शाता है और जब इस अर्थ में उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ किसी वस्तु में स्वामित्व या स्वामित्व होता है। इस शब्द का उपयोग वस्तु का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। दोनों अवधारणाएँ अलग हैं, एक अंतर जिसे माल की बिक्री के संबंध में शब्द के उपयोग पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ए. एच. हडसन (1983 एडन.) द्वारा वाणिज्यिक कानून के शब्दकोश में अंतर स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। परिभाषा इस प्रकार हैः
>
> " 'संपत्ति'— वाणिज्यिक कानून में यह स्वामित्व के विषय-वस्तु का अपना सामान्य अर्थ ले सकता है लेकिन कहीं और, जैसा कि माल की बिक्री में होता है, इसका उपयोग माल में स्वामित्व और कम अधिकारों के पर्याय के रूप में किया जा सकता है।"
>
> इसलिए, जब विभिन्न बिक्री कर कानूनों में "माल" की परिभाषा में उपयोग किया जाता है, तो "संपत्ति" शब्द का अर्थ स्वामित्व का

विषय है। "बिक्री" के संदर्भ में एक ही शब्द का अर्थ है माल में स्वामित्व का हस्तांतरण।

36. हमने पहले उल्लेख किया है कि राज्य बिक्री कर कानूनों में "माल" शब्द की सभी वैधानिक परिभाषाओं ने अधिनियम के उद्देश्यों के लिए परिभाषा से अन्य बातों के साथ साथ साथ- साथ कार्रवाई योग्य दावों को समान रूप से बाहर कर दिया है। यदि कार्रवाई योग्य दावे, आदि, "माल" की परिभाषा में अन्यथा शामिल नहीं थे, तो उन्हें बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, कार्रवाई योग्य दावे "माल" हैं लेकिन बिक्री कर अधिनियमों के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं और लेकिन इस वैधानिक बहिष्करण के लिए, एक कार्रवाई योग्य दावा "माल" या स्वामित्व का विषय होगा। नतीजतन, एक कार्रवाई योग्य दावा शब्द के व्यापक अर्थ में चल संपत्ति और "माल" है, लेकिन कार्रवाई योग्य दावे की बिक्री बिक्री कर कानूनों के अधीन नहीं होगी।

और, फिर सेः-

“51. इसलिए हमारा विचार है कि एच. अनराज (उपरोक्त) के निर्णय में गलत तरीके से कहा गया है कि लॉटरी टिकट की बिक्री में माल की बिक्री शामिल है। विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों के अर्थ के भीतर वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं थी, लेकिन सबसे अधिक कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण था। इस निर्णय को इस हद तक खारिज कर दिया गया है कि यह अन्यथा माना जाता है, हालांकि इस निर्णय की तारीख से संभावित रूप से प्रभावी है।”

29. हम लाभ के साथ ध्यान दें कर सकते हैं कि सनराइज एसोसिएट्स (उपरोक्त) ने विशेष रूप से पुनःपूर्ति लाइसेंस के सवाल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संविधान पीठ को दिया गया संदर्भ इस बात तक सीमित था कि क्या लॉटरी टिकट "सामान" थे। संविधान पीठ ने विशेष रूप से कहा था कि उन्हें इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया था कि क्या पुनःपूर्ति लाइसेंस "सामान" थे। हम उपयोगी रूप से प्रासंगिक मार्ग का उल्लेख कर सकते हैं-

> "29..... हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं कहा गया है कि क्या आर. ई. पी. लाइसेंस (या डी. ई. पी. बी. जिसने आर. ई. पी. लाइसेंस को बदल दिया है) "सामान" हैं। यद्यपि हमने इस पर विस्तार से परामर्श सुना है, संदर्भ की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लेते हैं। विकास बिक्री (सुप्रा) में निर्णय का उल्लेख केवल इसलिए किया गया था क्योंकि इसने एच. अनराज (सुप्रा) में तर्क को मंजूरी दी थी और इसलिए नहीं कि संदर्भित अदालत विकास बिक्री (सुप्रा) में इस निष्कर्ष से असहमत थी कि आरईपी लाइसेंस बिक्री कर लगाने के उद्देश्यों के लिए सामान थे। वास्तव में आर. ई. पी. लाइसेंस संदर्भ अदालत के समक्ष अपील का विषय नहीं थे और संदर्भ का हिस्सा नहीं हो सकते थे। हमें केवल इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है कि क्या एच. अनराज (उपरोक्त) में यह निर्णय कि लॉटरी टिकट संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए)(ए) और राज्य बिक्री कर के उद्देश्यों के लिए सामान हैं, सही थ"

30. इस प्रकार, संविधान पीठ ने विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में अदालत के फैसले को खारिज नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि पुनःपूर्ति लाइसेंस माल थे।

हालांकि, संविधान पीठ ने कहा कि एच. अनराज (उपरोक्त) में टिप्पणियों पर विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में रखी गई निर्भरता, जिस पर सहमति हुई थी और जिसे खारिज कर दिया गया था, इस हद तक कानून की दृष्टि से खराब थी। स्पष्ट करने के लिए, विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) विशेष रूप से पुनःपूर्ति लाइसेंस जारी होने के बाद उनके हस्तांतरण से संबंधित था। हालांकि, विकास बिक्री निगम (उपरोक्त) में यह राय दी गई थी कि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत निर्यातक को लाइसेंस देना बिक्री नहीं थी। बिक्री तभी होगी जब पंजीकृत मालिक इसे विचार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेच देगा। निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है।

31. याशा ओवरसीज बनाम बिक्री कर आयुक्त और अन्य मामले में अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल की जांच की थी कि क्या पुनःपूर्ति लाइसेंस और शुल्क पात्रता पासबुक की बिक्री या हस्तांतरण बिक्री कर को आकर्षित करेगा। रिलायंस ने सनराइज एसोसिएट्स (सुप्रा) को यह तर्क देने के लिए रखा कि विकास बिक्री निगम (सुप्रा) में निर्णय निहित रूप से खारिज कर दिया गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क को इस प्रकार प्रतिग्रहण करना नहीं कियाः-

> "40. इस प्रकार, एक विस्तृत जाँच पर, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि सनराइज (उपरोक्त) में निर्णय को आरईपी लाइसेंसों की बिक्री के संबंध में स्थिति को बदलने के लिए कैसे कहा जा सकता है जैसा कि विकास (उपरोक्त) में पहले के निर्णय द्वारा आयोजित किया गया था। ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि सनराइज (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार करने से दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि क्या आरईपी लाइसेंस (या डीईपीबी जो आरईपी लाइसेंसों को प्रतिस्थापित करता है) "माल" थे। यह वास्तव में सच है कि सनराइज (सुप्रा) में संविधान पीठ ने विकास (सुप्रा) में निर्णय को

मंजूरी नहीं दी क्योंकि इसने उनकी मुक्त विपणन क्षमता को यह ठहराने के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में दिया कि आरईपी लाइसेंस कार्रवाई योग्य दावा नहीं थे, बल्कि "माल" ठीक से तथाकथित थे। संविधान पीठ ने कहा कि यह धारणा कि कार्रवाई योग्य दावे मूल्य के लिए हस्तांतरणीय नहीं थे, काफी निराधार थी और उस आधार पर निकाला गया निष्कर्ष काफी गलत था। निर्णय के पैरा 39 और 40 में, सूर्योदय (सुप्रा) निर्णय ने कई कार्रवाई योग्य दावों के चित्र दिए जो हस्तांतरणीय हैं।

41. लेकिन हमारे दिमाग में यह किसी भी तरह से आरईपी लाइसेंसों के संबंध में स्थिति को नहीं बदलता है। इस फैसले में पहले विकस (उपरोक्त) में तीन- न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की जांच करते हुए यह देखा गया कि अदालत ने सबसे पहले यह माना कि आरईपी लाइसेंस/एक्ज़िम स्क्रिप पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से माल की परिभाषा के भीतर आता है, अदालत ने पाया और कहा कि आरईपी लाइसेंस का अपना मूल्य होता है; उन्हें स्वतंत्र रूप से उनके आंतरिक मूल्य के लिए बाजार में खरीदा और बेचा जाता था और केवल इसी कारण से वे सामान थे। (विकास (सुप्रा) में निर्णय का पैरा 29 देखें जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही न्यायालय ने लॉटरी टिकटों के संबंध में अनराज एफसुप्रा में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और वह भी इसलिए कि कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि आरईपी लाइसेंसों की बिक्री बिक्री कर के लिए अनिवार्य थी, अनराज (उपरोक्त) निर्णय पर बहुत अधिक

भरोसा किया था। विकास (उपरोक्त) में निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह आर. ई. पी. लाइसेंस का आंतरिक मूल्य था जिसने इसे वस्तुओं की परिभाषा के भीतर लाया।"

32. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने विशेष रूप से "माल" शब्द का उल्लेख किया, जैसा कि सनराइज एसोसिएट्स (उपरोक्त) में व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु का स्वामित्व और स्वामित्व, न कि माल में ब्याज की प्रकृति। मुक्त-विपणन क्षमता का प्रश्न, यह माना गया था, सनराइज एसोसिएट्स (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार मुख्य रूप से प्रासंगिक नहीं था, हालांकि एक अतिरिक्त कारण के रूप में भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि पुनःपूर्ति लाइसेंस पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से "माल" की परिभाषा के भीतर आते हैं। इन लाइसेंसों का अपना आंतरिक मूल्य हो सकता है और इन्हें स्वतंत्र रूप से उनके बाजार मूल्य पर लाया और बेचा जा सकता है। पुनःपूर्ति लाइसेंसों की बिक्री और खरीद के लिए भी एक तैयार बाजार था।

33. इस प्रकार विश्लेषण किए जाने पर, पुनःपूर्ति लाइसेंस या आयात-निर्यात लेख "वस्तु" होंगे, और जब उन्हें धारक/मालिक द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को विचार के लिए हस्तांतरित या सौंपा जाता है, तो वे बिक्री कर आकर्षित करेंगे। हालाँकि, स्थिति तब अलग होगी जब पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप को अनुदानकर्ता या संप्रभु प्राधिकरण को रद्द करने या विलुप्त होने के लिए वापस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में, जैसे ही और जब माल प्रस्तुत किया जाता है, तो पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप रद्द कर दिया जाता है और एक विपणन योग्य साधन नहीं रह जाता है। यह बिना किसी जन्मजात बाजार मूल्य के कागज का एक टुकड़ा बन जाता है। एस. बी. आई. ने, जब उसने उक्त उपकरणों को आर. बी. आई. के एजेंट के रूप में लिया, तो किसी भी सामान को न तो रखा और न ही खरीदा। यह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, अपने एजेंट के रूप में और रद्द करने की प्रक्रिया में एक भागीदार

के रूप में कार्य कर रहा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप को अब स्थानांतरित नहीं किया गया था। इरादा और उद्देश्य पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप के रूप में सामान खरीदना नहीं था, बल्कि उन्हें रद्द करना था। उक्त उद्देश्य और उद्देश्य स्वीकृत स्थिति है। इसका उद्देश्य बाजार से पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप्स को हटाना और हटाना था।

34. यह ध्यान दिया जाए कि स्क्रिप्स के प्रारंभिक निर्गम या अनुदान को माल में स्वामित्व या स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, इसका पालन तब किया जाना चाहिए जब भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें रद्द करने और नष्ट करने के इरादे से पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप प्राप्त करता है और उन्हें वापस करने की मांग करता है, तो पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप को अनुदानकर्ता द्वारा खरीदी गई विपणन योग्य वस्तु के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, एस. बी. आई. आर. बी. आई. का एक अभिकर्ता है, जो प्रधान है। एक्ज़िम स्क्रिप या पुनःपूर्ति लाइसेंस "सामान" नहीं थे जो उनके द्वारा खरीदे गए थे। इरादा और उद्देश्य पुनःपूर्ति लाइसेंस खरीदना नहीं था क्योंकि यह योजना पुनःपूर्ति लाइसेंस जारी करके दिए गए अधिकार को समाप्त करने के लिए थी। माल में "स्वामित्व" कभी भी एस. बी. आई. को हस्तांतरित या सौंपा नहीं गया था।

35. पूर्ववर्ती विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अन्य मुद्दों और प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या पुनःपूर्ति लाइसेंस या एक्ज़िम स्क्रिप्स की खरीद और रद्द करने की उपरोक्त कवायद अधिनियम के अर्थ के भीतर "व्यवसाय" है। इस मामले के तथ्यों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं और इसलिए, हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत हैं कि एस. बी. आई. अधिनियम के तहत खरीद कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

36. नतीजतन, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज हो जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजरात

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।